संख्या- 69/2021/408/22-4-2021-48(30)/14

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 25 मार्च, 2021

विषयः-प्रदेश की कारागारों में संचालित ई-प्रिजन कार्ययोजना को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी मैनपावर एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24065/आधु-2/ई-प्रिजन/2020, दिनांक-29.09.2020 एवं पत्र संख्या-6569/आधु-2/ई-प्रिजन, दिनांक-13.03.2021 तथा शासनादेश संख्या-35/2020/763/22-4-2020-48(30)/14, दिनांक-24.12.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश दिनांक-24.12.2020 द्वारा प्रदेश की कारागारों में संचालित ई-प्रिजन कार्ययोजना को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी मैनपावर एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था जैम पोर्टल के माध्यम से कराये जाने हेतु रू0 2,74,26,400 की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संगत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1,00,00,000/- (रूपया एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया प्रदेश की कारागारों में संचालित ई-प्रिजन कार्ययोजना को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी मैनपावर एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था जैम पोर्टल के माध्यम से कराये जाने हेतु संगत मद में पुनिर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित अवशेष धनराशि रू0 1,74,26,400/- (रूपया एक करोड़ चौहत्तर लाख छब्बीस हजार चार सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करती हैं कि उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिक्ताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-23-08-2017 के अनुसार किया जायेगा।

4- प्रश्नगत योजनाओं की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 24.12.2020 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-17-ई प्रिजन कार्ययोजना-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर क्रय" मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई0-12-883/दस/2021, दिनांक-25 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-69/2021/408/22-4-2021, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in